Drishti IAS

करेंट अफेयर्स उत्तराखंड

फरवरी 2024

(संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

उत्तराखंड **3**

- हिम तेंदुए की दूसरी सबसे बड़ी आबादी उत्तराखंड में 3
- उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव 4
- उत्तराखंड में आदिवासियों को UCC से छूट दी जाएगी 4
- उत्तराखंड में बर्फबारी 6
- उत्तराखंड कैबिनेट ने 'UCC ड्राफ्ट रिपोर्ट' को मंज़ूरी दी 7
- उत्तराखंड ने नई फिल्म नीति को मंज़ूरी दी 7
- उत्तराखंड हाईकोर्ट को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मिलीं 8
- उत्तराखंड का मौसम: लुढ़का पारा, पहाड़ी जन जीवन स्थगित 8
- उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता विधेयक की मुख्य विशेषताएँ 9
- उत्तराखंड के हलद्वानी में हिंसा 10
- उत्तराखंड में अतिक्रमण विरोधी अभियान 11
- उत्तराखंड में आठ राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी 11
- भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा उत्तराखंड में शुरू होगी 12
- हरिद्वार में 30 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया 12
- उत्तराखंड ग्रीन सेस लगाएगा 13
- नज़ूल भूमि 14
- शेवनिंग छात्रवृत्ति 14
- उत्तराखंड में होम गार्ड के लिये ट्रांज़िट हॉस्टल 15
- उत्तराखंड में 108 सड़कों का उन्नयन 15
- उत्तराखंड पेश करेगा 90,000 करोड़ का बजट 16
- उत्तराखंड सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 16
- NGT ने उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फटकार लगाई 17
- उत्तराखंड ने 89,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया 18
- लैंगिक समानता की कानूनी जीत 19
- उत्तराखंड के राज्य वृक्ष का जल्दी खिलना जलवायु संकट की ओर इशारा 21

नोट :

उत्तराखंड

हिम तेंदुए की दूसरी सबसे बड़ी आबादी उत्तराखंड में

चर्चा में क्यों?

भारत में हिम तेंदुए की आबादी का आकलन (SPAI) के अनुसार उत्तराखंड में 124 हिम तेंदुओं की उल्लेखनीय आबादी दर्ज की गई है, जो कि लद्दाख (संख्या 477) के बाद दूसरे स्थान पर है।

मुख्य बिंदु:

- हाल ही में जारी रिपोर्ट, जिसका शीर्षक 'भारत में हिम तेंदुए की स्थिति' है, भारतीय हिमालयी क्षेत्रों में 718 हिम तेंदुओं की उपस्थिति का अनुमान लगाने वाला पहला वैज्ञानिक प्रयास है।
- भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) की एक टीम ने एक व्यापक वैज्ञानिक मूल्यांकन किया, जिसमें गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान को संरक्षण प्रदान करने हेतु महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया।
- अधिकारियों के अनुसार, नंदा देवी बायोस्फीयर रिज़र्व भी हिम तेंदुओं के लिये एक आशाजनक आवास के रूप में उभरा है।
- डेटा विश्लेषण के आधार पर, ये तेंदुए अलग-अलग राज्यों में ये पाए जाते हैं, जिनमें लद्दाख में 477, उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21 और जम्मू-कश्मीर में इनकी संख्या 9 है। जिसके परिणामस्वरूप भारत में हिम तेंदुए की संख्या 718 है।

गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान

- इसे वर्ष 1989 में स्थापित किया गया था और यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में भागीरथी नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र स्थित है।
- गंगोत्री ग्लेशियर पर गंगा नदी का उद्गम स्थल गौ-मुख इस पार्क के अंदर स्थित है।
- इस उद्यान के तहत आने वाला क्षेत्र गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य के बीच एक जीवंत निरंतरता बनाता है।
- वनस्पति: यह उद्यान घने शंकुधारी वनों से घिरा हुआ है जिनमें ज़्यादातर समशीतोष्ण वन हैं। इस पार्क की सामान्य वनस्पतियों में चिरपाइन, देवदार, फर, स्प्रूस, ओक एवं रोडोडेंड्रॉन शामिल हैं।
- जीव-जंतु: इस उद्यान में विभिन्न दुर्लभ एवं लुप्तप्राय प्रजातियाँ, जैसे- नीली भेड़, काले भालू, भूरे भालू, हिमालयन मोनल, हिमालयन स्नोकॉक, हिमालयन तहर, कस्तूरी मृग और हिम तेंदुए पाई जाती हैं।

नंदा देवी बायोस्फीयर रिज़र्व

- इसकी स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी और इसे वर्ष 1988 में UNESCO द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह रिज़र्व विविध प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का निवास स्थान है, जिनमें कई लुप्तप्राय प्रजातियाँ, जैसे- हिम तेंदुआ, एशियाई काला भालू, हिमालयी कस्तूरी हिरण और नीली भेड़ शामिल हैं।
- यह रिज़र्व अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिये भी जाना जाता है तथा भोटिया और जौहरी जैसे कई स्वदेशी समुदायों का निवास स्थान है। ये समुदाय सदियों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं और उन्होंने जीवन का एक अनोखा तरीका विकसित किया है जो प्राकृतिक पर्यावरण से निकटता से जुड़ा हुआ है।

उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव

चर्चा में क्यों?

वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी राधा रतूड़ी को उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया।

मुख्य बिंदु:

- वर्ष 1988 बैच के IAS अधिकारी रतूड़ी ने सुखबीर सिंह संधू का स्थान लिया। वह उत्तराखंड मंम शीर्ष प्रशासनिक पद संभालने वाली पहली महिला हैं।
- उन्होंने अविभाजित उत्तर प्रदेश और नवंबर 2000 में अस्तित्व में आए उत्तराखंड दोनों में नौकरशाह के रूप में कार्य किया है।

उत्तराखंड में आदिवासियों को UCC से छूट दी जाएगी

चर्चा में क्यों?

राज्य विधानसभा में पेश किया जाने वाला प्रस्तावित उत्तराखंड समान नागरिक संहिता राज्य की आदिवासी आबादी को इसके प्रावधानों से पूरी तरह छूट देने के लिये तैयार है।

मुख्य बिंदु:

- उत्तराखंड की आबादी में लगभग 2.9% आदिवासी हैं, जिनमें जौनसारी, भोटिया, थारू, राजी और बुक्सा प्रमुख हैं।
  - पहाड़ी राज्य में कुछ जनजातियों के बीच बहुपत्नी और बहुविवाह भी प्रचलित प्रथा है।
- उत्तराखंड UCC समिति ने भी इन आदिवासी समुदायों के साथ समान संहिता पर बातचीत की थी।
  - युवा जनजातीय आबादी ने यह भी प्रतिक्रिया दी थी कि हालाँकि पिछली पीढ़ियों में बहुपति/बहुविवाह एवं अन्य प्रथाएँ प्रचलन में थीं, लेकिन अब वे शायद ही प्रचलन में हैं और इसलिये सुधार किये जा रहे हैं।

- हालाँकि सभी राज्यों, विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में आदिवासी और जातीय समुदायों ने खुले तौर पर किसी भी नागरिक संहिता को लागू करने का विरोध व्यक्त किया है जो उनके रीति-रिवाज़ों तथा जीवन के सदियों पुराने तरीकों को प्रभावित कर सकता है।
- मुसलमानों के लिये तलाक और पुनर्विवाह पर हलाला, इद्दत व खुला विकल्प नए कोड के तहत अवैध होंगे, जिसमें केवल न्यायालयों में कानूनी कार्यवाही के माध्यम से तलाक तथा पुनर्विवाह की आवश्यकता होगी।
- राज्य का कोड 'लिव-इन रिलेशनशिप' के पंजीकरण को अनिवार्य करेगा तथा पैदा हुए बच्चों के लिये पूर्ण उत्तराधिकार की मांग करेगा।

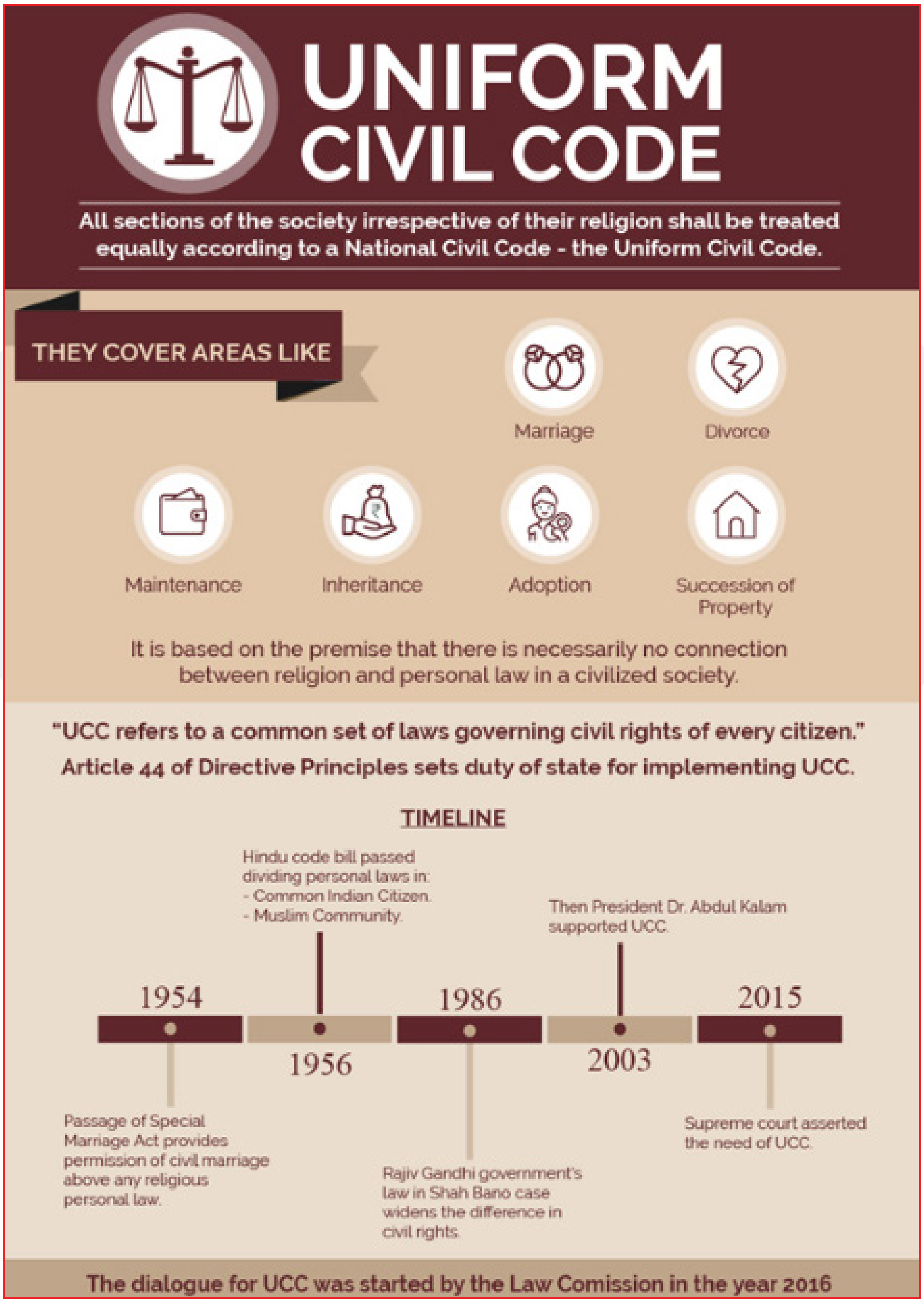

उत्तराखंड की जनजातियाँ

- उत्तराखंड की जनजातियों में मुख्य रूप से पाँच प्रमुख समूह शामिल हैं जिनमें जौनसारी जनजाति, थारू जनजाति, राजी जनजाति, बुक्सा जनजाति और भूटिया शामिल हैं।
- जनजातीय आबादी का मुख्य संकेंद्रण ग्रामीण क्षेत्रों में है।
    - रिकॉर्ड के अनुसार, कुल आदिवासी आबादी का लगभग 94.50% ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है और शेष प्रतिशत आदिवासी आबादी शहरी केंद्रों में रहती है।
- जनसंख्या की दृष्टि से थारू जनजाति राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है।
- उत्तराखंड के प्रत्येक ज़िले में जनजातीय आबादी का कम-से-कम प्रतिशत है
- उत्तराखंड की इन जनजातियों को भारत के संविधान में अनुसूचित किया गया है।

उत्तराखंड में बर्फबारी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ उत्तराखंड में सीज़न की पहली बर्फबारी हुई।

मुख्य बिंदु:

- भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पहले पश्चिमी विक्षोभ के कारण आने वाले दिनों में तीन राज्यों के पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी की थी।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD)

- इसकी स्थापना वर्ष 1875 में हुई थी। यह देश की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा है और मौसम विज्ञान तथा संबद्ध विषयों से संबंधित सभी मामलों में प्रमुख सरकारी एजेंसी है।
    - यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एजेंसी के रूप में कार्य करती है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- IMD विश्व मौसम विज्ञान संगठन के छह क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है।

पश्चिमी विक्षोभ

- भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department-IMD) के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ ऐसे तूफान हैं जो कैस्पियन या भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं तथा उत्तर-पश्चिम भारत में गैर-मानसूनी वर्षा के लिये ज़िम्मेदार होते हैं।
- भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले इस निम्न दबाव के क्षेत्र को 'बहिरूष्ण उष्णकटिबंधीय तूफान' के रूप में चिह्नित किया जाता है, जो उत्तर-पश्चिम भारत में अचानक वर्षा, बर्फबारी एवं कोहरे के लिये ज़िम्मेदार हैं।
- WD का अर्थ इसके नाम में ही निहित है।
    - यह विक्षोभ 'पश्चिम' से 'पूर्व' दिशा की ओर आता है।
    - ये उच्च ऊँचाई वाली पश्चिमी जेट धाराओं द्वारा पूर्व की ओर प्रवाहित होते हैं, तेज़वायु के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर गमन करते हैं।
- विक्षोभ का तात्पर्य 'विक्षुब्ध' क्षेत्र या कम हवा वाले दबाव क्षेत्र से है।
- किसी क्षेत्र की वायु अपने दाब को सामान्य करने का प्रयास करती है, जिसके कारण प्रकृति में संतुलन विद्यमान रहता है।
- "बहिरूष्ण उष्णकटिबंधीय तूफान" में तूफान का तात्पर्य कम दबाव से है। "बहिरूष्ण उष्णकटिबंधीय" का अर्थ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बाहर से है। चूँकि WD उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बाहर उत्पन्न होता है, इसलिये "बहिरूष्ण उष्णकटिबंधीय" शब्द उनके साथ जुड़ा हुआ है।

नोट :

उत्तराखंड कैबिनेट ने 'UCC ड्राफ्ट रिपोर्ट' को मंज़ूरी दी

चर्चा में क्यों?

4 फरवरी 2024 को राज्य कैबिनेट द्वारा UCC पैनल की मसौदा रिपोर्ट को मंज़ूरी देने के बाद, उत्तराखंड ने स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने वाला पहला राज्य बनने की दिशा में एक और बड़ा कदम है।

मुख्य बिंदु:

- रिपोर्ट 6 फरवरी 2024 को विधानसभा में पेश की जाएगी, क्योंकि 70 सदस्यीय सदन में सत्तारूढ़ दल के पास 47 सीटें हैं, जिससे UCC विदेयक पास होने की संभावना अधिक हो जाती है।
- समान नागरिक संहिता कानूनों का एक समूह है जो सभी धर्मों और जनजातियों के पारंपरिक कानूनों का स्थान लेगा तथा विवाह, तलाक, विरासत एवं उत्तराधिकार समेत विभिन्न मुद्दों को नियंत्रित करेगा।
- भारत के संविधान के अनुसार UCC राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का एक हिस्सा है।
- वर्ष 2011 की राष्ट्रीय जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में 13.9% मुस्लिम आबादी है, जिसके अधिकांश लोग तराई क्षेत्र में रहते हैं।

समान नागरिक संहिता

- समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिये एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिये विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानूनों में भी एकरूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है।
- संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिये एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।
  - अनुच्छेद-44, संविधान में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों में से एक है।
  - अनुच्छेद 44 का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में निहित "धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य" की अवधारणा को मज़बूत करना है।

उत्तराखंड ने नई फिल्म नीति को मंज़ूरी दी

चर्चा में क्यों?

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राज्य में स्थानीय फिल्में बनाने वालों के लिये सब्सिडी बढ़ाने हेतु नई फिल्म नीति को मंज़ूरी दे दी है।

मुख्य बिंदु:

- आधिकारिक बयान के मुताबिक, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में गढ़वाली, कुमाऊंनी और जौनसारी फिल्में बनाने वालों के लिए सब्सिडी आठ गुना बढ़ा दी है।
- आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में राज्य में फिल्मों की शूटिंग करने वालों के लिये सब्सिडी दोगुनी कर दी गई है।
- फिल्म सब्सिडी सरकारी हस्तक्षेप का एक रूप है जो फिल्म निर्माताओं, उत्पादन कंपनियों और स्टूडियो को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- वित्तीय सहायता के सबसे सामान्य रूप हस्तांतरणीय कर साख (Transferable Tax Credits) और बिक्री तथा उपयोग कर छूट हैं।

आठवीं अनुसूची:

- इस अनुसूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान के भाग XVII में अनुच्छेद 343 से 351 तक शामिल अनुच्छेद आधिकारिक भाषाओं से संबंधित हैं।

- आठवीं अनुसूची से संबंधित संवैधानिक प्रावधान हैं:
  - आठवीं अनुसूची से संबंधित संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार हैं:
    - अनुच्छेद 344: अनुच्छेद 344(1) संविधान के प्रारंभ से पाँच वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग के गठन का प्रावधान करता है।
    - अनुच्छेद 351: यह हिंदी भाषा को विकसित करने के लिये इसके प्रसार का प्रावधान करता है ताकि यह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी तत्त्वों के लिये अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में कार्य कर सके।

आधिकारिक भाषाएँ:

- संविधान की आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएँ शामिल हैं:
  - असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगू, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी।

उत्तराखंड हाईकोर्ट को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मिलीं

चर्चा में क्यों?

4 फरवरी को न्यायमूर्ति रितु बाहरी ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

मुख्य बिंदु:

- उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरुमीत सिंह ने जस्टिस बाहरी को पद की शपथ दिलाई।
  - उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले, न्यायमूर्ति बहरी ने वर्ष 2010 से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया।
- वह नागरिक, संवैधानिक, कराधान, श्रम और सेवा मामलों में विशेषज्ञ हैं।
- अपनी 24 वर्ष की कानूनी प्रैक्टिस के दौरान, उन्होंने हरियाणा राज्य के लिये सहायक महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता और वरिष्ठ उप महाधिवक्ता के रूप में भी कार्य किया।

महाधिवक्ता

- भारत के संविधान के भाग VI (राज्य) में अध्याय 2 (कार्यपालिका) का अनुच्छेद 165 राज्यों के लिये महाधिवक्ता के कार्यालय का प्रावधान करता है।
- उसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, जिसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिये योग्य होना चाहिये।
- महाधिवक्ता अपने आधिकारिक कर्त्तव्यों के पालन में राज्य के भीतर किसी भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का अधिकारी है।
- महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है।

उत्तराखंड का मौसम: लुढ़का पारा, पहाड़ी जन जीवन स्थगित

चर्चा में क्यों?

उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बर्फबारी और वर्षा हुई, जिससे मौजूदा शुष्क दौर से राहत मिली और पूरे क्षेत्र में तापमान में गिरावट आई।

- बादल छाये रहने के कारण मसूरी और इसके आसपास के क्षेत्रों में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई।

मुख्य बिंदु:

- भारत मौसम विज्ञान विभाग के देहरादून स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, गढ़वाल हिमालय के ऊपरी इलाकों जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हर्षिल में पर्याप्त बर्फबारी हुई।
- तलहटी में हल्की वर्षा हुई है जिससे दिन के तापमान में गिरावट आई है।

नोट :

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD)

- IMD की स्थापना वर्ष 1875 में हुई थी। यह देश की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा है और मौसम विज्ञान एवं संबद्ध विषयों से संबंधित सभी मामलों में प्रमुख सरकारी एजेंसी है।
  - यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी के रूप में कार्य करती है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- IMD विश्व मौसम विज्ञान संगठन के छह क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है।
- यमुनोत्री धाम:
  - स्थान: ज़िला उत्तरकाशी
  - समर्पित: देवी यमुना
  - गंगा नदी के बाद यमुना नदी भारत की दूसरी सबसे पवित्र नदी है।
- गंगोत्री धाम:
  - स्थान: ज़िला उत्तरकाशी
  - समर्पित: देवी गंगा
  - गंगा नदी सभी भारतीय नदियों में सबसे पवित्र मानी जाती है।
- केदारनाथ धाम:
  - स्थान: ज़िला रुद्रप्रयाग
  - समर्पित: भगवान शिव
  - मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है।
  - भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों (भगवान शिव के दिव्य प्रतिनिधित्व) में से एक।
- बद्रीनाथ धाम:
  - स्थान: ज़िला चमोली
  - पवित्र बद्रीनारायण मंदिर
  - समर्पित: भगवान विष्णु
  - वैष्णवों के पवित्र तीर्थस्थलों में से एक।

उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता विधेयक की मुख्य विशेषताएँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राज्य द्वारा नियुक्त पैनल ने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद, उत्तराखंड राज्य विधानमंडल ने समान नागरिक संहिता ((UCC) विधेयक पारित किया दिया।

- आज़ादी के बाद ऐसा कानून लागू करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है।

नोट:

उत्तराखंड के नक्शेकदम पर चलते हुए मध्य प्रदेश और गुजरात ने UCC का निर्माण शुरू करने के लिये समितियाँ नियुक्त की हैं।

मुख्य बिंदु:

- विधेयक में आदिवासी समुदाय को इसके दायरे से बाहर रखते हुए, सभी नागरिकों के लिये, उनकी धार्मिक संबद्धता की परवाह किये बिना, विवाह, तलाक, संपत्ति की विरासत और सहवास पर एक समान कानून का प्रस्ताव है।

नोट :

- संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिये एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।
  - यह प्रावधान राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व (Directive Principles of State Policy- DPSP) का अंग है, हालाँकि लागू करने योग्य नहीं है लेकिन देश के शासन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- विधेयक का उद्देश्य लिव-इन रिलेशनशिप को पंजीकृत करने की बाध्यता लगाकर उन्हें विनियमित करना है।
- यदि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़े अपना बयान प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो उन्हें नोटिस दिया जाएगा जिसके बाद उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू किया जा सकता है।
- धारा 4 के अनुसार, "विवाह के समय किसी भी पक्ष का जीवनसाथी जीवित न हो तभी वह विवाह मान्य होता है", इस प्रकार यह धारा द्विविवाह या बहुविवाह पर रोक लगती है।
- तलाक के संबंध में पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार दिये गए हैं।
- धारा 28 तलाक की कार्यवाही शुरू करने पर रोक लगाती है जब तक कि शादी को एक वर्ष न हो गया हो।
- हालाँकि एक अपवाद बनाया जा सकता है यदि याचिकाकर्त्ता को "असाधारण कठिनाई" का सामना करना पड़ा हो या यदि प्रतिवादी ने "असाधारण भ्रष्टता" का प्रदर्शन किया हो।
- विवाह और तलाक को नियंत्रित करने वाली मौजूदा मुस्लिम पर्सनल लॉ प्रथाएँ, जैसे– निकाह हलाला, इद्दत एवं तीन तलाक को स्पष्ट रूप से नाम दिये बिना विधेयक के तहत अपराध घोषित कर दिया गया है।
- यह विधेयक सभी वर्गों के बेटों और बेटियों के लिये समान संपत्ति अधिकारों का विस्तार करता है।
- विधेयक LGBTQIA+ समुदाय के सदस्यों को इसके दायरे से बाहर रखता है और केवल विषमलैंगिक संबंधों पर लागू होता है।

उत्तराखंड के हलद्वानी में हिंसा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड के हलद्वानी में एक अवैध मदरसे में तोड़फोड़ के बाद हिंसा भड़क गई थी।

मुख्य बिंदु:

- नगर निगम द्वारा यह विध्वंस न्यायालय के आदेश के अनुसार किया गया था, जिसमें मदरसे को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण घोषित किया गया था।
- विध्वंस से दो समुदायों के बीच विरोध और झड़पें शुरू हो गईं, जिसके परिणामस्वरूप पुलिस कर्मियों सहित कई लोग घायल हो गए।
- राज्य सरकार ने आगे की हिंसा को रोकने के लिये हलद्वानी और अन्य संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया तथा देखते ही गोली मारने का आदेश (Shoot-at-sight) जारी कर दिया।
- देखते ही गोली मारने का आदेश (Shoot-at-sight Order):
  - यह एक ऐसा शब्द है जो एक ऐसे आदेश को संदर्भित करता है जो पुलिस या अन्य सुरक्षा बलों को आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना किसी चेतावनी या गिरफ्तार करने के प्रयास के गोली मारने का अधिकार देता है।
  - इस आदेश का उपयोग केवल अत्यंत दुर्लभ और खतरनाक स्थितियों में किया जाता है, जब अधिकारियों को लगता है कि सार्वजनिक शांति तथा सुरक्षा के लिये गंभीर खतरा है एवं जब घातक बल बिल्कुल आवश्यक है।
  - कुछ कानूनी प्रावधान जो देखते ही गोली मारने के आदेश जारी करने की अनुमति देते हैं:
    - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 46 (2) जो गिरफ्तारी का विरोध करने या भागने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने के दौरान बल के प्रयोग को सक्षम बनाती है।

- CrPC की धारा 144, जो आदेश जारी करने के माध्यम से "आशंकित खतरे" या उपद्रव के तत्काल मामलों से निपटने के दौरान व्यापक शक्तियों के उपयोग को सक्षम बनाती है।
- भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 81, ऐसे कार्य से संबंधित है जिससे अपहानि होने की संभावना है, लेकिन आपराधिक आशय के बिना किया गया है और अन्य अपहानि को रोकने के लिये किया जाता है।
- IPC की धारा 76 ऐसे कृत्यों से छूट देती है, यदि ऐसा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो स्वयं को ऐसा करने के लिये कानून द्वारा बाध्य मानता है।

उत्तराखंड में अतिक्रमण विरोधी अभियान

चर्चा में क्यों?

उत्तराखंड के हलद्वानी के बनभूलपुरा इलाके में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जब ज़िला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम ने इलाके में एक 'अवैध मदरसे' को ध्वस्त करने का प्रयास किया।

- देखते ही गोली मारने के आदेश (Shoot-at-sight) जारी किये गए और कस्बे में कर्फ्यू लगा दिया गया।

मुख्य बिंदु:

- अधिकारियों के मुताबिक, न्यायालय के आदेश के बाद ज़िला प्रशासन की एक टीम इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाने गई थी।
  - तभी कुछ उपद्रवियों ने पुलिस के साथ हाथापाई की, जिसमें कई पुलिसकर्मी और अधिकारी घायल हो गए।
- बनभूलपुरा वही इलाका है जहाँ सैकड़ों मुस्लिम परिवार रेलवे ट्रैक के किनारे 2 कि.मी की दूरी में रह रहे हैं, उन्हें अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि रेलवे ने उन्हें बेदखली का नोटिस दिया है, क्योंकि उनके घर रेलवे की ज़मीन पर बने हैं।
- उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा बेदखली के आदेश के खिलाफ हफ्तों के विरोध के बाद, निवासियों ने बाद में सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया और यह मामला विचाराधीन है।

विचाराधीन

- विचाराधीन एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है "निर्णय के अधीन" या "न्यायालय द्वारा विचाराधीन।"
- कानूनी संदर्भों में, यह एक ऐसे मामले को संदर्भित करता है जो वर्तमान में न्यायालय के समक्ष लंबित है और इसलिये सार्वजनिक चर्चा या टिप्पणी हेतु उपलब्ध नहीं है।
- विचाराधीन नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मुकदमा या सुनवाई निष्पक्ष हो और इसमें शामिल पक्ष बाहरी प्रभावों से पूर्वाग्रहग्रस्त न हों।

उत्तराखंड में आठ राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड के टनकपुर में 2217 करोड़ रुपए की 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी।

मुख्य बिंदु:

- काठगोदाम से नैनीताल रोड को 2-लेन पेव्ड शोल्डर के साथ चौड़ा करने से नैनीताल-मानसखंड मंदिरों तक कनेक्टिविटी में सुधार होगा।
- काशीपुर से रामनगर रोड के 4-लेन के चौड़ा होने से पर्यटकों के लिये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और मानसखंड मंदिरों तक पहुँचना आसान हो जाएगा।

नोट :

- राष्ट्रीय राजमार्ग 309A पर उडियारी बैंड से कांडा मार्ग के 2-लेन के चौड़ा होने और मरम्मत होने से बागेश्वर में बागनाथ तथा बैजनाथ मंदिरों तक पहुँच आसान हो जाएगी।
- उत्तराखंड में उत्कृष्ट बुनियादी ढाँचा तैयार करने के उद्देश्य से न केवल सड़कों और राजमार्गों का कार्य चल रहा है, बल्कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 87 विस्तार पर दीवारों का भी निर्माण किया जा रहा है।
  - बागेश्वर ज़िले में सरयू और गोमदी नदियों पर दो पुलों की मरम्मत का कार्य भी 5 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है।
- इन परियोजनाओं से न केवल पर्यटकों को लाभ होगा बल्कि स्थानीय लोगों के लिये भी आवागमन आसान हो जाएगा और पर्यावरण को कोई नुकसान पहुँचाए बिना स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मज़बूत होगी।

भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा उत्तराखंड में शुरू होगी

चर्चा में क्यों?

भारत अपनी पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा (HEMS) देखने के लिये तैयार है, जो ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) से संचालित होगी।

मुख्य बिंदु:

- नई HEMS 150 किलोमीटर के कवरेज़ दायरे के साथ प्रोजेक्ट 'संजीवनी' के तहत संचालित होगी।
- इससे दुर्घटना पीड़ितों और मरीज़ों को पहाड़ी इलाकों से एम्स तक समय पर परिवहन सुनिश्चित हो सकेगा।
- किसी दुर्घटना के तुरंत बाद महत्त्वपूर्ण 'गोल्डन आर्स' के दौरान मरीज़ों को बचाने के लिये आपातकालीन हेलीकॉप्टर सेवाएँ अपरिहार्य होंगी, जब विशेषज्ञ चिकित्सा देखभाल महत्त्वपूर्ण होती है।
  - यह पहल उत्तराखंड के लिये एक वरदान होगी, एक ऐसा राज्य जो प्रत्येक वर्ष पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और साहसिक उत्साही लोगों को आकर्षित करता है, साथ ही प्राकृतिक आपदाओं से भी जूझता है।
- हिंडन एयर बेस से पिथौरागढ़ तक हवाई कनेक्टिविटी के लिये राज्य सरकार के अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए एक अन्य परियोजना की शुरुआत की भी घोषणा की गई।

हेलीकाप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा (HEMS)

- इसे प्रोजेक्ट संजीवनी कहा जाता है; एम्स ऋषिकेश में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करने के हेतु एक हेलीकॉप्टर तैनात किया जाएगा।
  - इसमें शिक्षा, पर्यावरण, कृषि और पशुधन स्वास्थ्य देखभाल जैसे विभिन्न क्षेत्रों को लक्षित करने वाली कई पहल शामिल हैं।
- हेलीकॉप्टर 20 मिनट के नोटिस पर अस्पताल में तैनात होगा और 150 किमी. के दायरे के क्षेत्र को कवर करेगा।

हरिद्वार में 30 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हरिद्वार में 4,755 करोड़ रुपए की 30 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया।

मुख्य बिंदु:

- जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया उनमें रुद्रप्रयाग में लमेरी से कर्णप्रयाग तक 2-लेन पेव्ड शोल्डर और हरिद्वार में चमोली तथा दूधाधारी एलिवेटेड फ्लाईओवर का चौड़ीकरण शामिल है।

नोट :

- ये परियोजनाएँ न केवल परिवहन को आसान बनाएँगी बल्कि ऋषिकेश से भारत-चीन सीमा तक बेहतर कनेक्टिविटी भी प्रदान करेंगी।
- फ्लाईओवर से धार्मिक नगरी हरिद्वार में ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और अन्य धार्मिक स्थलों तक पहुँचना आसान हो जाएगा।
- इन परियोजनाओं के निर्माण से उत्तराखंड विकास की तेज़ी से बढेगा। चारधाम मार्गों पर श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम होगी।
- उत्तराखंड की अन्य राज्यों से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आर्थिक और सामाजिक विकास को गति मिलेगी।

उत्तराखंड ग्रीन सेस लगाएगा

चर्चा में क्यों?

उत्तराखंड सरकार अन्य राज्यों से राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों पर ग्रीन सेस/हरित उपकर लागू करने के लिये पूरी तरह तैयार है।

- ग्रीन सेस पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर का एक रूप है।

मुख्य बिंदुः

- फास्टैग के माध्यम से टोल प्लाज़ा पर उपकर 20 रुपए से 80 रुपए तक एकत्र किया जाएगा। संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG) द्वारा ईंधन वाले इलेक्ट्रिक वाहनों और कारों को छूट दी जाएगी।
- इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के रियायतदाताओं द्वारा एकत्र किया जाएगा।
- परिवहन विभाग के अनुसार, तिपहिया और चार पहिया वाहनों (हल्के मोटर वाहन) पर ग्रीन सेस के रूप में क्रमशः 20 रुपए तथा 40 रुपए लगेंगे, जबकि मध्यम एवं भारी मोटर वाहनों को क्रमशः 60 रुपए व 80 रुपए का भुगतान करना होगा।
  - दोपहिया वाहन, सरकारी वाहन, फायर टेंडर और एम्बुलेंस, सेना के वाहन तथा कृषि हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को ग्रीन सेस से छूट दी जाएगी।
- दूसरे राज्यों के वाहनों को एक दिन के लिये निर्धारित दर का भुगतान करके एक बार प्रवेश का विकल्प होगा।
- वैकल्पिक रूप से, वे तीन महीने की अवधि के लिये मानक दर का 20 गुना या पूरे वर्ष के लिये ग्रीन सेस दर का 60 गुना भुगतान करने का विकल्प चुन सकते हैं।

फास्टैग (FASTag)

- यह एक साधन/उपकरण है जो गतिशील वाहन को निर्बाध रूप से सीधे टोल भुगतान करने के लिये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक का उपयोग करता है।
- NHAI ने FASTag की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने के लिये दो मोबाइल ऐप - MyFASTag और FASTag पार्टनर लॉन्च किये।
- टैग जारी होने की तारीख से 5 वर्ष के लिये वैध है जो 7 अलग-अलग रंग कोड में आता है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI)

- NHAI का गठन वर्ष 1988 में संसद के एक अधिनियम द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार द्वारा सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव तथा प्रबंधन के लिये एक केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में किया गया था।
- हालाँकि प्राधिकरण फरवरी, 1995 में चालू हो गया।
- प्राधिकरण में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है और अधिकतम पाँच पूर्णकालिक सदस्य तथा चार अंशकालिक सदस्य जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

नोट :

नज़ूल भूमि

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले के हलद्वानी शहर में कथित तौर पर नज़ूल भूमि पर एक मस्जिद और मदरसे की जगह पर अतिक्रमण हटाने के लिये शहर प्रशासन द्वारा चलाए गए विध्वंस अभियान के कारण हिंसा भड़क उठी।

- प्रशासन के अनुसार, जिस संपत्ति पर दोनों संरचनाएँ स्थित हैं, वह नगर परिषद की नज़ूल भूमि के रूप में पंजीकृत है।

मुख्य बिंदु:

- नज़ूल भूमि का स्वामित्व सरकार के पास है लेकिन अक्सर इसे सीधे राज्य संपत्ति के रूप में प्रशासित नहीं किया जाता है।
  - राज्य आम तौर पर ऐसी भूमि को किसी भी इकाई को एक निश्चित अवधि के लिये पट्टे पर आवंटित करता है, आमतौर पर 15 से 99 वर्ष के बीच।
- यदि पट्टे की अवधि समाप्त हो रही है, तो कोई व्यक्ति स्थानीय विकास प्राधिकरण के राजस्व विभाग को एक लिखित आवेदन जमा करके पट्टे को नवीनीकृत करने हेतु प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है।
  - सरकार नज़ूल भूमि को वापस लेने या पट्टे को नवीनीकृत करने या इसे रद्द करने के लिये स्वतंत्र है।
- सरकार आम तौर पर नज़ूल भूमि का उपयोग सार्वजनिक उद्देश्यों जैसे स्कूल, अस्पताल, ग्राम पंचायत भवन आदि के निर्माण के लिये करती है।

अतिक्रमण

- यह किसी और की संपत्ति का अनधिकृत उपयोग या कब्ज़ा है।
- यह परित्यक्त या अप्रयुक्त स्थानों पर हो सकता है यदि कानूनी मालिक इसके रखरखाव में सक्रिय रूप से शामिल नहीं है।
- संपत्ति मालिकों के लिये ऐसे मामलों में उठाए जाने वाले कानूनी कदमों और अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना महत्त्वपूर्ण है।
- इसमें उचित अनुमति या कानूनी अधिकारों के बिना अवैध निर्माण, कब्ज़ा या किसी अन्य प्रकार का कब्ज़ा शामिल हो सकता है।
- भूमि अतिक्रमण, जैसा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की धारा 441 द्वारा परिभाषित किया गया है, किसी अपराध को करने, संपत्ति पर कब्ज़ा करने की धमकी देने या बिन बुलाए भूमि पर रहने की अनुमति के बिना किसी और की संपत्ति में अवैध रूप से प्रवेश करने का कार्य है।

शेवनिंग छात्रवृत्ति

चर्चा में क्यों ?

उत्तराखंड सरकार ने प्रतिष्ठित शेवनिंग छात्रवृत्ति के माध्यम से यूनाइटेड किंगडम (UK) में एक साल के मास्टर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में राज्य के दस उत्कृष्ट छात्रों को समर्थन देने की अपनी पहल की घोषणा की है। राज्य 50% खर्च, जबकि शेवेनिंग इंडिया शेष खर्च वहन करेगा।

मुख्य बिंदु:

- छात्रवृत्ति शैक्षणिक शुल्क, यात्रा, आवास और वीज़ा शुल्क सहित विभिन्न खर्चों को कवर करती है, जो लाभार्थियों के लिये एक समग्र सहायता प्रणाली प्रदान करती है।
- दो साल के कार्य अनुभव वाले स्नातक छात्रवृत्ति के लिये अर्हता प्राप्त करेंगे, जिससे वे किसी भी ब्रिटिश विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा या शोध कर सकेंगे। प्रारंभ में, कार्यक्रम के लिये पाँच महिलाओं और पाँच पुरुषों को चुना जाएगा।
- सरकार और शेवेनिंग इंडिया के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये जाएंगे। यह साझेदारी उत्तराखंड के लिये अपनी तरह की पहली साझेदारी है।
  - ऐसा पहले झारखंड में भी किया गया था।

नोट :

शेवनिंग छात्रवृत्ति

- यह ब्रिटिश विदेश और राष्ट्रमंडल कार्यालय द्वारा वित्त पोषित एक अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति है, जो नेतृत्व गुणों वाले विदेशी छात्रों को यूके के विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने की अनुमति प्रदान करती है।
- योजना का उद्देश्य यूके में छात्रों का एक नेटवर्क तैयार करना, जो अपने देशों में भविष्य के नेतृत्वकर्त्ता होंगे।

उत्तराखंड में होम गार्ड के लिये ट्रांज़िट हॉस्टल

चर्चा में क्यों?

उत्तराखंड में होम गार्ड विभाग विशेष रूप से उधम सिंह नगर और अन्य प्रमुख ज़िलों में अपने होम गार्ड के लिये आवासीय सुविधा देने की तैयारी कर रहा है।

मुख्य बिंदु:

- आठ ज़िलों में ट्रांज़िट हॉस्टल के निर्माण के लिये शासन से 13.50 करोड़ रुपए की मंज़ूरी भी मिल गई है।
- चिह्नित ज़िले गढ़वाल और कुमाऊँ दोनों मंडलों में फैले हैं। हरिद्वार में सबसे अधिक 50 बीघा भूमि पर बनेगा ट्रांज़िट हॉस्टल।
- विभागीय सूत्रों से पता चला कि ऊधमसिंह नगर ज़िला मुख्यालय, रुद्रपुर, नैनीताल और हरिद्वार समेत आठ ज़िलों के विभिन्न शहरों में छात्रावास निर्माण के लिये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कर ली गई है।
  - अगले चरण के हिस्से के रूप में, शेष पाँच ज़िलों के लिये DPR तैयार कर सरकार को सौंपी जाएगी, जिससे पूरे राज्य में इस पहल का विस्तार सुनिश्चित होगा।

होम गार्ड

- 6 दिसंबर, 1946 को नागरिक अव्यवस्थाओं और सांप्रदायिक दंगों की उथल-पुथल अवधि के दौरान, पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, पुलिस के सहायक के रूप में नागरिक स्वैच्छिक बल के रूप में पहली होम गार्ड यूनिट की कल्पना और स्थापना तत्कालीन बॉम्बे प्रेसीडेंसी में की गई थी।
- वर्ष 1966 में भारत-चीन युद्ध के बाद इसे भारत में पुनर्गठित किया गया।

उत्तराखंड में 108 सड़कों का उन्नयन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY) के तहत उत्तराखंड में 108 सड़कों के उन्नयन को मंज़ूरी दे दी है।

मुख्य बिंदु:

- PMGSY-III के तहत उत्तराखंड में 1,197.207 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 108 सड़कों को 967.73 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से उन्नत किया जाएगा।
- कुल 967.73 करोड़ रुपए में से केंद्र 803.85 करोड़ रुपए देगा और शेष 163.88 करोड़ रुपए राज्य सरकार वहन करेगी।
- यह मंज़ूरी इस तथ्य को स्वीकार करते हुए दी जा रही है कि पहाड़ी क्षेत्र प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं और पहाड़ी लोगों को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY)

- इसे 25 दिसंबर, 2000 को असंबद्ध बस्तियों तक हर मौसम में अनुकूल सड़क के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था।

नोट :

- PMGSY-III
  - चरण III को जुलाई 2019 के दौरान कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था।
  - यह सुविधाओं को प्राथमिकता देता है, जैसे:
    - ग्रामीण कृषि बाज़ार (ग्रामीण)
  - GrAMs एक खुदरा कृषि बाज़ार हैं जो किसानों की उपज के अधिक कुशल लेन-देन को बढ़ावा देते हैं और सेवा प्रदान करते हैं।
    - उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और
    - अस्पताल।
    - PMGSY-III योजना के तहत राज्यों में 1,25,000 किलोमीटर लंबी सड़क को समेकित करने का प्रस्ताव है। योजना की अवधि वर्ष 2019-20 से 2024-25 है।

उत्तराखंड पेश करेगा 90,000 करोड़ का बजट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तराखंड कैबिनेट ने विधानसभा सत्र में 90,000 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पेश करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी।

मुख्य बिंदु:

- राज्य विधानसभा में पेश किये जाने वाले संशोधन इस प्रकार हैं:
  - कैबिनेट ने बाल श्रम, नकली नोट और मानव तस्करी को गैंगस्टर एक्ट, 1986 के दायरे में शामिल करने का फैसला किया है।
  - जमरानी बांध और सोंग बांध परियोजना को मंज़ूरी दे दी गई और उन नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में बोरिंग करना प्रतिबंधित कर दिया गया है जहाँ से पीने के पानी का उपयोग किया जा रहा है।
  - सभी 13 ज़िलों में छात्रों के लिये मोबाइल लैब वैन को मंज़ूरी।
  - केदारनाथ और बद्रीनाथ में अस्पतालों के लिये उपकरण खरीदने का प्रस्ताव।
- रियल एस्टेट में दो संशोधनों को मंज़ूरी दी गई:
- आवास विभाग के तहत विनियमन और विकास अधिनियम 2016 तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) आवास परियोजनाओं का निर्माण।
- शिक्षा विभाग के तहत कैबिनेट ने इन्हें भी दी मंज़ूरी:
- एक प्रस्ताव में कहा गया है कि यदि किसी विश्वविद्यालय में कुलपति (VC) का पद खाली हो जाता है, तो छह महीने की अवधि के लिये दूसरे विश्वविद्यालय के VC को अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है।
- शिक्षा विभाग में कला शिक्षकों के लिये बीएड अनिवार्य कर दिया गया है और संगीत शिक्षकों के लिये संगीत प्रभाकर डिग्री की अवधि पाँच से बढ़ाकर छह वर्ष कर दी गई है।

उत्तराखंड सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक

चर्चा में क्यों ?

उत्तर प्रदेश और हरियाणा द्वारा लाए गए संपत्ति के नुकसान की वसूली की तर्ज़ पर उत्तराखंड एक विधेयक लाने की तैयारी में है।

मुख्य बिंदु:

- इस कानून के तहत विरोध प्रदर्शनों और हड़तालों के दौरान हुए सार्वजनिक एवं सरकारी संपत्तियों के नुकसान की भरपाई उपद्रव में शामिल आरोपियों से की जाएगी।

- एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाला एक न्यायाधिकरण राज्य की शिकायत के बाद पहचाने गए आरोपियों के खिलाफ आरोपों की जाँच करेगा।
    - नुकसान की वसूली के लिये आकलन और आदेश सरकार तथा अन्यथा प्रभावित पक्षों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद ट्रिब्यूनल द्वारा जारी किये जाएंगे।
- सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिये विधेयक लाने का फैसला उत्तराखंड के हलद्वानी में हुई हिंसा के बाद आया।
- ज़िला प्रशासन और नागरिक निकाय द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान में नज़ूल (सरकारी) भूमि पर बनी एक मस्जिद तथा मदरसे को ध्वस्त करने के बाद हिंसा भड़क उठी।

अतिक्रमण

- यह किसी और की संपत्ति का अनधिकृत उपयोग अथवा कब्ज़ा करने से है।
- यह परित्यक्त या अप्रयुक्त स्थानों पर हो सकता है यदि कानूनी मालिक इसके रखरखाव में सक्रिय रूप से शामिल नहीं है।
- संपत्ति के स्वामियों को ऐसे मामलों से संबंधित विधिक प्रक्रिया और अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना अत्यावश्यक है।
- इसमें उचित अनुमति अथवा कानूनी अधिकारों के बिना संपत्ति पर अवैध निर्माण, कब्ज़ा अथवा किसी अन्य प्रकार का कब्ज़ा शामिल हो सकता है।
- भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 की धारा 441 में भूमि अतिक्रमण को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार किसी अन्य के कब्ज़े की संपत्ति पर अपराध करने अथवा व्यक्ति को, जिसके कब्ज़े में ऐसी संपत्ति है, भयभीत करने अथवा विधिपूर्वक रूप से संपत्ति में प्रवेश करने की अनुमति के बिना किसी और की संपत्ति में अवैध रूप से प्रवेश करने का कार्य अतिक्रमण है।

नज़ूल भूमि

- नज़ूल भूमि का स्वामित्व सरकार के पास है लेकिन अक्सर इसे सीधे राज्य संपत्ति के रूप में प्रशासित नहीं किया जाता है।
    - राज्य सामान्यतः ऐसी भूमि को किसी भी इकाई को 15 से 99 वर्ष के बीच एक निश्चित अवधि के लिये पट्टे पर आवंटित करता है।
- यदि पट्टे की अवधि समाप्त हो रही है, तो कोई व्यक्ति स्थानीय विकास प्राधिकरण के राजस्व विभाग को एक लिखित आवेदन जमा करके पट्टे को नवीनीकृत करने के लिये प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है।
- सरकार पट्टे को नवीनीकृत करने या इसे रद्द करने- नज़ूल भूमि वापस लेने के लिये स्वतंत्र है।
    - सरकार सामान्यतः नज़ूल भूमि का उपयोग सार्वजनिक उद्देश्यों जैसे- स्कूल, अस्पताल, ग्राम पंचायत भवन आदि के निर्माण के लिये करती है।

NGT ने उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फटकार लगाई

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने 'मूक दर्शक' बने रहने और गंगा में अनुपचारित सीवेज के प्रवाह को रोकने के लिये उचित कार्रवाई नहीं करने हेतु उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निंदा की है।

मुख्य बिंदु:

- अधिकरण ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में नदी के प्रदूषण को लेकर मामला उठाया है।
- उत्तराखंड के सभी 13 ज़िलों में अनुमानित सीवेज उत्पादन 700 मिलियन लीटर प्रति दिन (MLD) होने का अनुमान है और 50% का भी उचित उपचार नहीं किया जाता है।
    - सीवर बिछाना और घरों की कनेक्टिविटी एक अनसुलझा मुद्दा है तथा मौसम के दौरान पर्यटकों एवं तीर्थयात्रियों की आमद सीवेज उत्पादन को बढ़ाती है।

नोट :

    - प्रत्येक ज़िले और संबंधित स्थानीय निकाय में, सीवेज को सीधे या उसकी सहायक नदियों के माध्यम से गंगा नदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे प्रदूषण हो रहा है।
- सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना उचित परिश्रम, शीघ्रता और ईमानदारी से नहीं की जा रही है।
- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जिसे विशेष रूप से गंगा के पुनरुद्धार का कार्य सौंपा गया है, शायद पहाड़ी इलाकों के लिये सीवेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की जटिलताओं के पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया है।
- अधिकरण ने उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ज़िम्मेदार सरकारी अधिकारियों और विभागों के प्रमुखों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करके दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)

- यह पर्यावरण संरक्षण और वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी तथा शीघ्र निपटान के लिये राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत स्थापित एक विशेष निकाय है।
- NGT की स्थापना के साथ, भारत ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के बाद एक विशेष पर्यावरण अधिकरण स्थापित करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया एवं ऐसा करने वाला पहला विकासशील देश बन गया।
- NGT को आवेदन या अपील दायर करने के 6 महीने के भीतर अंतिम रूप से निपटान करने का आदेश दिया गया है।
- वर्तमान में NGT की बैठक के लिये नई दिल्ली प्रमुख स्थान है, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई को ट्रिब्यूनल की बैठक के अन्य चार स्थानों के रूप में नामित किया गया है।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG)

- 12 अगस्त 2011 को, NMCG को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था।
- इसने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य किया, जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (EPA), 1986 के प्रावधानों के तहत गठित किया गया था।
    - NGRBA का वर्ष 2016 में विघटन कर दिया गया और उसकी जगह राष्ट्रीय गंगा नदी कायाकल्प, संरक्षण एवं प्रबंधन परिषद ने ले ली।
- NMCG का उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और गंगा नदी का कायाकल्प सुनिश्चित करना है।
    - नमामि गंगे, गंगा को साफ करने हेतु NMCG के प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में से एक है।

उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UKPCB)

- यह जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक वैधानिक संगठन है।
- UKPCB भारत के उत्तराखंड राज्य में प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और कमी के लिये ज़िम्मेदार है।
- इसका मुख्यालय देहरादून, उत्तराखंड में है।

उत्तराखंड ने 89,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये अपना बजट पेश किया।

- वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड की आर्थिक विकास दर राष्ट्रीय औसत को पार करते हुए 7.63% रही।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- गरीबी को दूर करने, आपदा प्रबंधन, बुनियादी ढाँचे के विकास और हवाई कनेक्टिविटी में सुधार पर ज़ोर देने वाली कई पहलों के लिये 89,000 करोड़ रुपए का आवंटन।
- बजट में विकसित भारत के "चार स्तंभों" के प्रति समर्पण पर ज़ोर दिया गया- गरीबों का कल्याण, युवा सशक्तीकरण, कृषि पहलऔर महिला सशक्तीकरण।
- प्रत्येक स्तंभ के लिये किये गए प्रावधान हैं:
  - गरीबों के कल्याण के लिये 5,658 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जिसमें आवास पहल, खाद्यान्न वितरण और मुफ्त गैस रिफिल योजनाएँ शामिल हैं।
  - बजट में युवा कल्याण, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा और राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिये 1,679 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।
    - अल्पसंख्यक लड़कियों की योग्यता को बढ़ावा देने और रोज़गार के अवसरों को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के लिये भी प्रावधान किये गए हैं।
  - सहकारी पहल, सेब की खेती, किसान पेंशन और मत्स्यन विकास सहित विभिन्न किसान-केंद्रित योजनाओं के लिये 2,415 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।
  - लिंग-विशिष्ट पहलों के लिये बजट में लगभग 14,538 करोड़ रुपए अलग रखे गए हैं।
    - इन योजनाओं का उद्देश्य मातृ एवं शिशु कल्याण और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाना है।

लैंगिक समानता की कानूनी जीत

चर्चा में क्यों ?

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि गर्भावस्था के आधार पर महिलाओं को रोज़गार देने से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसने गर्भवती महिलाओं को सरकारी पदों के लिये पात्र होने से रोकने वाले नियम को पलट दिया।

मुख्य बिंदु:

- यह ऐतिहासिक फैसला मिशा उपाध्याय के मामले से प्रेरित था, जिन्हें गर्भावस्था के कारण नर्सिंग अधिकारी का पद देने से इंकार कर दिया गया था।
- उच्च न्यायालय ने 12 सप्ताह या उससे अधिक की गर्भवती महिलाओं को रोज़गार के लिये "अस्थायी रूप से अयोग्य" बताने वाले राज्य सरकार के विनियमन को अमान्य कर दिया।
  - इसमें फिटनेस प्रमाण-पत्र की आवश्यकता के साथ-साथ प्रसव के छह सप्ताह बाद एक पंजीकृत चिकित्सक द्वारा मेडिकल जाँच को भी अनिवार्य किया गया है।
- न्यायालय ने राज्य की कार्रवाई को "महिलाओं के खिलाफ अत्यधिक भेदभावपूर्ण" माना तथा संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के उल्लंघन पर ज़ोर दिया।
  - अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र के भीतर, राज्य किसी भी व्यक्ति को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कानून के समक्ष समानता या कानूनों के तहत समान सुरक्षा से वंचित नहीं कर सकता है।
  - अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि राज्य के तहत रोज़गार के मामलों में सभी नागरिकों के लिये अवसर की समानता होगी।
  - अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।
- यह ऐसे कार्यस्थलों को बढ़ावा देने के महत्त्व को रेखांकित करता है जो महिलाओं के प्रजनन विकल्पों का सम्मान करते हैं और उन्हें समायोजित करते हैं, जो सतत् विकास लक्ष्य 5 सहित लैंगिक समानता की दिशा में व्यापक वैश्विक प्रयासों के साथ संरेखित होते हैं।

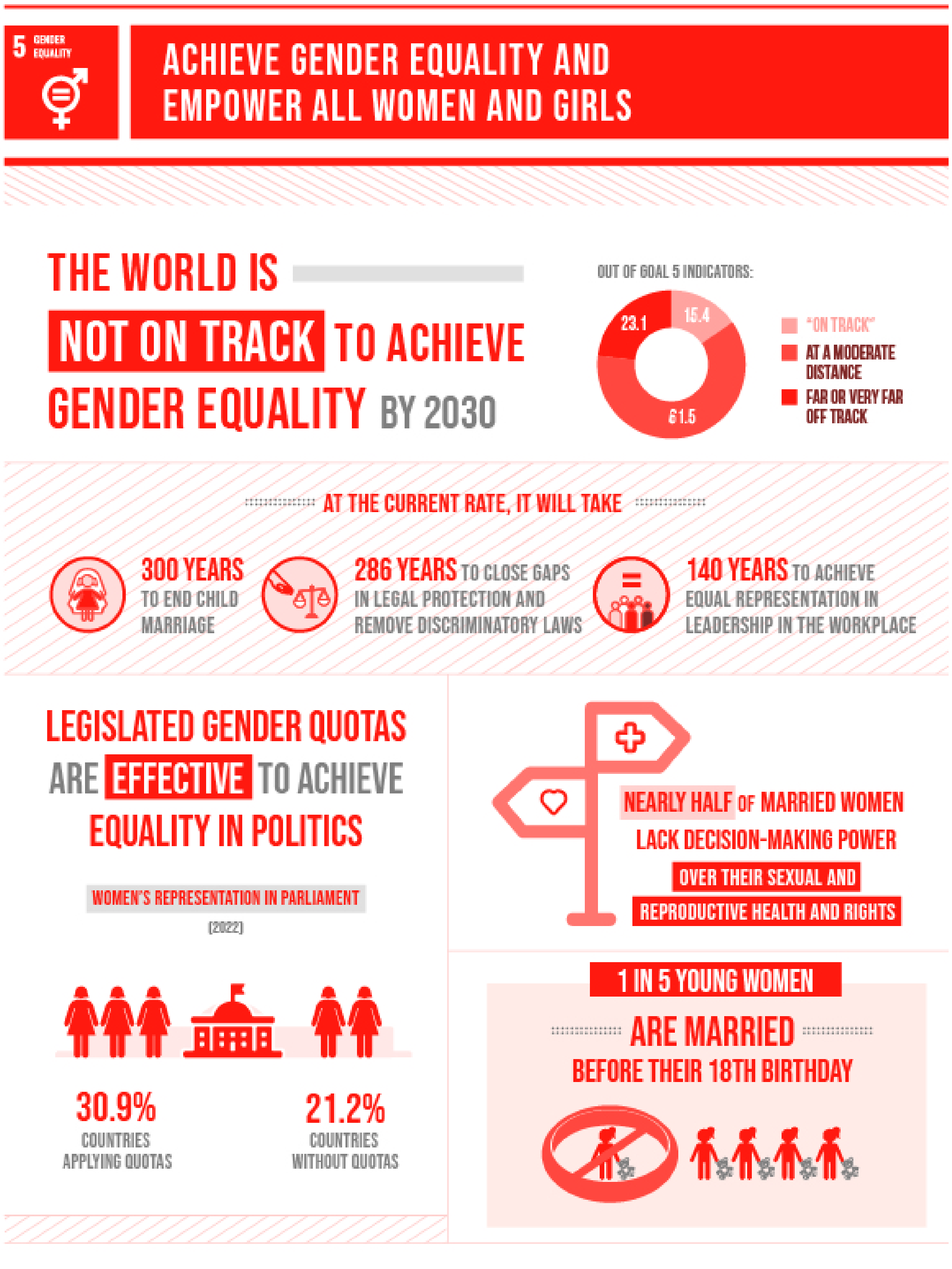

THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS REPORT 2023: SPECIAL EDITION- UNSTATS.UN.ORG/SDGS/REPORT/2023/

नोट :

उत्तराखंड के राज्य वृक्ष का जल्दी खिलना जलवायु संकट की ओर इशारा

चर्चा में क्यों?

उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांश उम्मीद से पहले खिल गया है, जिससे वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों में चिंता बढ़ गई है।

मुख्य बिंदुः

- यह पेड़, जिसे वैज्ञानिक रूप से रोडोडेंड्रोन के नाम से जाना जाता है, लाल फूलों के जीवंत प्रदर्शन के लिये जाना जाता है जो उत्तराखंड की पहाड़ियों पर उगते हैं क्योंकि यह पेड़ की जंगली झाड़ियों से फूटता है।
- ICAR-केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों के अनुसार, यह जलवायु परिवर्तन के कारण छद्म-फूलना या जबरन फूलना है।
- सामान्यतः ये फूल मध्य ऊँचाई वाले इलाकों में मार्च और अप्रैल के दौरान खिलते हुए देखे जाते हैं।
- असमय खिलने से फूल की औषधीय क्षमता में संभावित कमी को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।
  - पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और विटामिन C की प्रचुरता के लिये प्रसिद्ध, यह फूल पहाड़ी बीमारी एवं मौसमी बीमारियों को कम करने के लिये एक क्षुधावर्धक के रूप में भी खाया जाता है।
  - यह महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव को कम करने में अपनी प्रभावशीलता के लिये पहचाना जाता है।
  - फूल में हृदय, यकृत, त्वचा की एलर्जी और एंटीवायरल उद्देश्यों के लिये फायदेमंद औषधीय गुण होते हैं।
- मौसम विज्ञानियों के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम का सामान्य प्रारूप बदल रहा है, जिससे असामान्य तापमान और कम बारिश हो रही है।
- सामान्य शीतकालीन विक्षोभ जो यहाँ ठंड का मौसम लाते हैं, कमज़ोर रहे हैं, कम हो रहे हैं और उतने मज़बूत नहीं हैं।
  - इसके चलते पहाड़ी इलाकों में दिसंबर और जनवरी में पर्याप्त बारिश नहीं हुई। उच्चतम और न्यूनतम दोनों तापमान सामान्य से अधिक थे।
  - जैसे-जैसे दुनिया गर्म हो रही है, वैज्ञानिकों को चिंता है कि वनस्पतियों तथा जीवों में इस तरह के और बदलाव होने की उम्मीद है।

केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान (CSSRI)

- यह उच्च शिक्षा का एक स्वायत्त संस्थान है, जिसे मृदा विज्ञान के क्षेत्र में उन्नत अनुसंधान के लिये कृषि मंत्रालय द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) की छत्रछाया में स्थापित किया गया है।
- यह संस्थान करनाल, हरियाणा में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी।

✦ ✦ ✦ ✦

नोट :